में उनकी शिकायतों को नजर-अन्दाज कर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या ठोस कदम उठा रही है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) क्या सरकार ने इसकी कम आपूर्ति के कारण औद्योगिक उत्पादन में जिला-वार आई भारी कमी पर ध्यान दिया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (च) गजरात में औद्योगिक उपभोक्ताओं की स्टीम कोयले की आपूर्ति साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा संबंधित प्रायोजन अधिकारियों द्वारा जारी प्रायोजन के आधार पर अधिकांशत: रेल द्वारा की जाती है। स्टीम कोयले के लिए यह ऐसे प्रायोजन रेलवे द्वारा नियत निर्धारित सीमा के भीतर रखा जाता है जो कि गुजरात राज्य के लिए 1102 वाक्स वैगन प्रति माह है। स्टीम कोयले का जिलावार आबंटन राज्य के प्रायोजन अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के विभिन्न उपभोक्ता आते हैं। कोयला कंपनियों द्वारा कोयले के आवंटन तथा आपूर्ति के जिलावार आंकड़ों का हिसाब नहीं रखा जाता है।

राज्य को स्टीम कोयले की वास्तविक आपूर्ति स्टीम कोयले तथा रेलवे वैगन दोनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। गुजरात में अधिकांश उपभोक्ता साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की कोरिया-रेवा कोलफील्ड्स से कोयले की आपूर्ति को तरजीह देते हैं जहां से कोयले के प्रेषण को विभिन्न अवरोधों के कारण, जिनमें परिवहन भी शामिल है, बढ़ाया नहीं जा सका है। इसके अलावा, विद्युत, स्टील तथा सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेल द्वारा कोयले के संचलन में प्राथमिकता दिए जाने के कारण भी औद्योगिक उपभोक्ताओं के कोयले के संचलन में कुछ कमी आई है जिससे इन यूनिटों का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

किन्तु, कोयला कंपनियों को परामर्श दिया गया है कि वे उपभोक्ता क्षेत्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कोयले की आपूर्ति में वृद्धि करे। गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गई है कि वे रेल द्वारा कम आपूर्ति किए जाने के एवज में विनिर्दिष्ट स्रोतों से सड़क मार्ग द्वारा कोयला उठा सकते हैं। अनेक कोलियरियों को उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत लाया गया है जहां से कि औद्योगिक उपभोक्ता बिना किसी प्रायोजन के अपनी जरूरत का कोयला उठा सकते हैं।

रेलवे वैगनों द्वारा कोयले की ढुलाई

29. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता के कारण कोयला की ढुलाई का कार्य भलीभांति नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला कंपनियों की रेलवे वैगनों की कितनी मांग रही है और उस अवधि के दौरान उन्हें कितने रेलवे वैगन उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) सरकार ने कोयला कंपनियों को पर्याप्त रेलवे वैगन उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां। कुछ कोयला उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन तथा परिवहन क्षमताओं में कुछ असमानता विद्यमान हैं। यह असमानता नवम्बर तथा मार्च के बीच अधिकतम उत्पादन अवधि में और भी बढ़ जाती हैं।

(ख) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० के दोनों के मामले में पिछले तीन वर्षों की अवधि में वैगनों की आपूर्ति तथा उनके वास्तविक लदान के संबध में सहमत हुए लक्ष्यों को नीचे दर्शाया गया है :

(चार पहियों वाले वैगन प्रति दिन के हिसाब स)

(अनतिम आंकड़े)

वर्ष	सहमत लक्ष्य	वास्तविक औसत लदान
1990–91	15811	14564
1991–92	16486	15562
1992–93	17072	16483

(ग) रेलवे वैगनों के अधिकतम उपयोग के लिए सभी संबंधित पक्षों के प्रयासों को समान्वित करने हेतु, रेलवे अधिकारियों के साथ नियमित रूप में बैठकें की जाती हैं।

घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन

30. श्री राम सिंह राठवा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन बढ़ रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत था;

(ग) घटिया किस्म के कोयले के उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा घटिया किस्म के कोयले को बढ़िया किस्म के कोयले में परिवर्तित करने हेतु किसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने के लिए अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(1) चालू परियोजनाओं का तेजी से विकास किया जाना तथा इस्पात आदि के लिए अपेक्षित ग्रेड के कोयले के उत्पादन किए जाने के लिए नई खानों को खोला जाना।

(2) विद्युत तथा अन्य ऐसे ही उद्योगों के लिए एक समान गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए कोयला रखरखाव व्यवस्था की स्थापना किया जाना।

(3) विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों में संशोधन तथा आधुनिकीकरण करना।

(4) इस्पात संयंत्रों के उपयोग के लिए विशिष्ट ग्रेड के माध्यम कोककर कोयले की धुलाई के लिए नई वाशरियों की स्थापना किया जाना।

(5) कुछ दूरस्थ विद्युत गृहों, जो कि कोलफील्ड्स से 1000 कि.मी. से भी अधिक की दूरी पर स्थित हैं, के लिए परिष्कृत कोयल की आपूर्ति किए जाने के लिए कोयला परिष्करण परियोजनाओं की स्थापना किया जाना।